

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 24/19

तारीख रज्जू- 24.07.19

1. रामचरण पुत्र बदरी बैरवा जाति बैरवा निवासी गंगानगर तहसील खण्डार जिला सवाई म  
-अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार ।

-रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 30

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्त  
तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 13/19 में पारित निर्णय दिनांक 16/07/19 के विरु  
की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम छाण के आराजी ख0न0 873 रकबा 0.05 बिस्वा किस्म च  
अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने,  
स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस  
तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्याय  
पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क  
निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील  
ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान क  
मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का  
दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है। वर्तमान में उ  
आराजीयात पर अपीलान्त का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी  
अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐ  
दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्त का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना  
होता है। अपीलान्त का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अदालत  
द्वारा अपीलान्त को जारी नोटिस में भी अपीलान्त के प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है तथा उ  
आराजीयात के संबंध में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित करने के र  
प्रस्ताव तैयार करवाकर उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। लेकि  
जिला कलेक्टर तथा जिला कार्यालय द्वारा उक्त प्रस्ताव का आदिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किय  
है, साथ ही वकील अपीलान्त ने अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरम  
निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेशेकार सरकार ने ब  
तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अति

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

भाराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीत की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 9 की नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। जहां तक अपीलार्थी के पूर्व अतिचारी होने के प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये गये अतिचार के संबंध में सुदृढ साक्ष्य या अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर सिविल कारावास जैसी सजा का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सिविल कारावास की सजा के लिए अभिलेख का पत्रावली में अभाव पाया गया है। ऐसी अवस्था में सुदृढ अभिलेख के अभाव में पारित किया गया सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से सिविल कारावास की सजा की हद तक स्वीकार की जाती है तथा शास्ति व बेदखली का आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.8.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाईमाधोपुर